

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

पश्चिम क्षेत्रिय समिति



National Council For Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

Western regional Committee

पत्र क्रमांक 61-6499/आर.टी.आई./2017

187039

दिनांक 28.06.2017

29

प्रति,

श्री सिद्धार्थ आर० प्रजापती,  
ए 21, सुरजीत सोसाईटी,  
इण्डिया कोलोनी,  
ठाकरबापानगर रोड,  
बापूनगर,  
अहमदाबाद,  
गुजरात ।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत चाही गयी जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 14.06.2017 ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन के साथ रूपये 20/- का कोर्ट फी टिकिट संलग्न किया गया है। अतः आपका आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अस्वीकार्य है। अतः जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती। आपका मूल आवेदन पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है।

आवेदक को अवगत कराया जाता है, कि सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन), नियम, 2005 और सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम 2006 के अनुसार फीस समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में 10/-रूपये (कार्यालय के लेखा विभाग में स्वयं) या माँग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में देय होगी। आवेदक द्वारा इन नियमों के अनुसार फीस भेजने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

(परविन्दर सिंह)  
जनसूचना अधिकारी

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।



RTI  
11/07/17

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फेक्स/ Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org